न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः 36/2019 वाद पत्र

उनवान

1. बदरी पिता गोकल जाति तेली आयु वयस्क निवासी भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

वादी

बनाम

1. लादू पिता कालू जाति तेली आयु वयस्क निवासी भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. रतन पिता कालू जाति तेली आयु वयस्क निवासी भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. सोहनी बेवा कालू जाति तेली आयु वयस्क निवासी भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

-- प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत् विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात

उपस्थित अधिवक्ता --

1. श्री श्रवण सैन वादी

निर्णय दिनांक 26/6/25

वादी द्वारा दिनांक 21.06.2019 को वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया जो बाद जांच प्रकरण संख्या 36/2019 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की वास्ते तलबी नोटिस जारी किये गये तथा विधिक प्रकिया प्रारम्भ की गई।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किः--

वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती अविभाजित कृषि आराजियात वाके ग्राम भोपालगढ़ प०ह० भोपालगढ़ तहसील भीलवाडा जिला भीवलाडा (राज०) में आराजी नम्बर 2542/1 एवं 2560 कुल किता 02 कुल रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा स्थित है।

वादग्रस्त कृषि आराजियात वादिया एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खाते की होकर अविभाजित कृषि आराजियात है जिसमें 1/2 हिस्सा वादी, 7/8 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का एवं 1/9 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 का राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है, उसी अनुसार मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग व काश्त करते आ रहे है, लेकिन रेकॉर्ड में खाता शामलाती होने से लगान जमा कराते समय तथा भूमि को काश्त करते समय मौके पर विवाद व लढाई--झगड़ा होता रहता है इसलिए वादिया अपने 1/2 आधा हिस्सा का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार माप व सीमांकन कर खाता अलग कर, लगान अलग तय करवा विभाजन करवाने का वादी अधिकारी है।

उक्त विवादग्रस्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में अंकित है इसलिए वादी अपने 1/2 हिस्सा का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार माप व सीमांकन के आधार पर विभाजन किया जाने हेतु वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण हर समय टालम टोल करते रहे किन्तु प्रतिवादीगण विभाजन के लिए तैयार नही हुऐ तथा वादी ने अन्तिम बार प्रतिवादीगण को दिनांक 20.05.2019 को विभाजन के लिए निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण बिल्कुल ही विभाजन के लिए इन्कार हो गये, अतः वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह विभाजन का वाद प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा०टि०एक्ट बावत् विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात का है जिसकी सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होने से यह वाद पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत हैं।

अतः प्रार्थना है कि वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की विभाजन की डिक्री सादिर फरमाई जावें कि वादपत्र में वर्णित कृषि आराजी नम्बर 2542/1 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 2560 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज वादी के 1/2 हिस्सा का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी फरमाई जाकर तहसीलदार भीलवाड़ा से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर, तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी फरमाई जायें।

उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की ओर से दिनांक 09.08.2019 को जवाबदावा पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

वादग्रस्त आराजियात ग्राम भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित होना स्वीकार है लेकिन वादी का यह कथन की उक्त आराजी अविभाजित है, अस्वीकार है क्योंकि उक्त आराजी बाहमी बंटवारे जवाबदाता के दादा की जीवित अवस्था में ही विभाजित हो चुकी थी।

वादपत्र में वादी ने जो हिस्सा बताया है वह पूर्णतः गलत है, क्योंकि उक्त आराजी में जवाबदाता संख्या 01 व 02 का 7/16 हक हिस्सा तथा 03 का 1/16 हक हिस्सा है जबकि वादी ने जवाबदाता का हिस्सा गलत अंकित किया है जिससे वादी का वाद पत्र काबिले निरस्त है। वादी ने कभी भी जवाबदाता को उक्त भूमि का राजस्व रकार्ड में विभाजन किये जाने हेतु नहीं कहा न ही जवाबदाता ने कभी लड़ाई-झगड़ा ही किया है क्यों कि जवाबदाता व वादी बाहमी बटवारे से अपने पूर्वजों के समय से ही मालिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

वादी ने मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर उक्त आराजीयात का विभाजन कराने का अधिकारी नहीं है क्योंकि उक्त भूमि का पूर्व में ही बाहमी बंटवारा हो चुका है तथा वादी व प्रतिवादीगण अपने-अपने हक हिस्से पर मालिक काबिज है।

वादी ने प्रतिवादीगण (जवाबदाता) को कभी भी उक्त आराजीयात का विभाजन कराने के लिए नहीं कहा। वादी ने मनगढ़त आधार पर दिनांक 20.05.2019 को प्रतिवादीगण को विभाजन के लिए कहने व इन्कार होने का अंकन किया जो अक्षरशः गलत होकर मिथ्या व आधारहीन है।

वाद पत्र में अंकित आराजीयात का विभाजन जवाबदाता के दादा के समय बाहमी बंटवारे से विभाजन हो चुका था तथा वादी ने अपनी इच्छानुसार विवादित आराजीयात में से 1/2 हक हिस्से को जो सिंचित थी को अपने हक हिस्से में लिया तथा जवाबदाता के हिस्से में बंजड़ भूमि आई जिसे जवाबदाता ने काफी श्रम व लागत लगाकर मिट्टी व खाद डालकर उपजाऊ बनाया तथा उपजाऊ बनाने में करीब 5-6 लाख रूपये खर्च किये है अब वादी के मन में फितुर आ जाने से तथा उसके द्वारा जवाबदाता के हक हिस्से की उपजाऊ भूमि हड़पने की नियत से यह वाद पत्र पेश किया है जो काबिले निरस्त है।

विवादित आराजीयात का पूर्व में ही बाहमी बंटवारा हो चुका है तथा इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी काबिज होकर काश्त कर रहे है। इसके बावजूद भी वाद ने मिथ्या व आधारहीन तथ्यों पर यह वाद-पत्र पेश किया है जो काबिले निरस्त है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का वादपत्र सव्यय निरस्त फरमाया जाकर पूर्व में हो चुके बाहमी बंटवारे अनुसार ही राजस्व रेकार्ड में भूमि का अंकन किया जाने का आदेश दिलावें।

दिनांक 19.02.2020 को वादी अधिवक्ता द्वारा आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दिनांक 13.03.2024 को प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी पर अनापत्ति दिये जाने से प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। वादी द्वारा संशोधित वादपत्र पेश किया गया। संशोधित वादपत्र के अनुसार वादग्रस्त भूमि में वादी का हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 7/16 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/16 हिस्सा है। वादी द्वारा संशोधित वादपत्र के अद्यतन राजस्व रिकॉर्ड की प्रति पेश की गई, जो शामिल मिसल की गई।

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

दिनांक 20.12.2024 को पत्रावली में तनकियात कायम की गई। दिनांक 16.01.2025 को वादी की ओर से साक्ष्यवादी का शपथ पत्र पेश किया गया तथा साक्ष्य वादी की मुख्य परीक्षा करवाई गई एवं प्रतिवादी को साक्ष्य वादी से प्रतिवादी जिरह करने हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी से प्रतिवादी जिरह हेतु नियत की गई। दिनांक 28.01.2025 को प्रतिवादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं आने से साक्ष्य वादी से प्रतिवादी जिरह बंद की गई तथा पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई। प्रतिवादी को साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत करने हेतु प्रर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं किये जाने से साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 22.05.2025 को बंद की जाकर पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु नियत की गई। प्रतिवादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर वादग्रस्त आराजियात ग्राम भोपालगढ की आराजी संख्या 2542/1 व 2560 कुल किता 02 कुल रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली में वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य वादी से दस्तावेज प्रदर्श नहीं करवाये गये, जिसके कारण वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात को वादपत्र के समर्थन में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार साक्ष्य में पढ़ा जाना संभव नहीं है। वादी द्वारा साक्ष्य वादी से जिरह शपथ पत्र दस्तावेजात से प्रदर्श नहीं करवाये जाने से वादी अपने वाद पत्र को साबित करने में प्रथम दृष्टया असफल रहे है। साथ ही प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं किये जाने से प्रतिवादी अपने जवाब दावे को पुष्ट करने में असफल रहे है। इस प्रकार वादी अपने वाद को तथा प्रतिवादी अपने जवाब दावे को साबित करने में प्रथम दृष्टया असफल रहे है। अतएवं

—: आदेश :—

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

30/6/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. बदरी पिता गोकल जाति तेली आयु वयस्क निवासी भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

—वादी

बनाम

1. लादू पिता कालू जाति तेली आयु वयस्क निवासी भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. रतन पिता कालू जाति तेली आयु वयस्क निवासी भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. सोहनी बेवा कालू जाति तेली आयु वयस्क निवासी भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात

प्रकरण संख्या 36/2019 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री श्रवण सेन उपस्थित – इस वाद में आज तारीख 26/6/25 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिकी दी जाती है–

वादी द्वारा साक्ष्य वादी से जिरह शपथ पत्र दस्तावेजात से प्रदर्श नहीं करवाये जाने से वादी अपने वाद पत्र को साबित करने में प्रथम दृष्टया असफल रहे है। साथ ही प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं किये जाने से प्रतिवादी अपने जवाब दावे को पुष्ट करने में असफल रहे है। इस प्रकार वादी अपने वाद को तथा प्रतिवादी अपने जवाब दावे को साबित करने में प्रथम दृष्टया असफल रहे है। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।

26/6/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा